**न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट)/**
**अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–04, फर्रुखाबाद।**

**उपस्थितः– दीपेन्द्र कुमार सिंह–I ... ... ... .....एच०जे०एस० J.O.Code–U.P.2720**

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–**654/2026**

**CNR Number– UPFR010024232026**

**जगपाल सिंह** पुत्र अमर सिंह, निवासी– ग्राम तुसौर, थाना–राजेपुर, जिला–फर्रूखाबाद।

**प्रति**

उ०प्र० सरकार।

सत्र वाद संख्या–539/2024

मु०अ०सं० –**666/2021**

धारा–**138 (1)(b) विद्युत अधिनियम, 2003**

थाना–**ए.पी.टी. फतेहगढ़,** जिला–**फर्रूखाबाद**

**दिनांक: 05–06–2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त **जगपाल सिंह** के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त मुकदमे में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित है, इस कारण न्यायिक अभिरक्षा में होना माना गया।

2. प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि, प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, महज रंजिशन झूंठा अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध वादी मुकदमा द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो भी दर्शाया गया है, वह सरासर गलत है। प्रार्थी/अभियुक्त ने किसी भी प्रकार की कोई बिजली चोरी नहीं की है। प्रार्थी/अभियुक्त का अपराध जमानतीय है। प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने से, उसके फरार होने की कदापि आशंका नहीं है। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की याचना की गयी है।

3. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए, यह अंकन किया गया है कि, उपभोक्ता द्वारा वाद से संबंधित बकाया विद्युत बिल 2522/– रूपये विभाग में जमा करने के बाद, शमन शुल्क 2000/– रूपये एवं निर्धारण राजस्व 205/– रूपये, कुल बकाया रू० 2205/– जमा करना शेष है।

4. **मैंने, विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को बहस के दौरान सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।**



Digitally signed by DEEPENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.05 16:59:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

**5.** पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–138(1)(b) का अभियोग लगाया गया है तथा विद्युत विभाग द्वारा अभियुक्त पर बिद्युत बिल व शमन शुल्क देय होना बताया गया। प्रस्तुत प्रकरण तीन वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय एवं शमनीय प्रकृति का है। उक्त प्रकरण में उपभोक्ता द्वारा वाद से संबंधित बकाया बिल 2522/– रूपये विभाग में दिनांक 30.03.2026 को जमा कर दिया है, जिसकी रसीद पत्रावली पर विद्यमान है। उपभोक्ता पर शमन शुल्क एवं निर्धारण राजस्व कुल 2205/– रूपये जमा करना शेष है।

**6.** इस भाँति, मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए और मामले के गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किये बिना, प्रार्थी/ अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार पाया जाता है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

## <u>आदेश</u>

**7.** प्रार्थी/अभियुक्त **जगपाल सिंह** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र, **स्वीकार** किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को, 25,000/–(पच्चीस हजार) रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि का एक प्रतिभू निर्गत करने पर, मुक्त किया जाये।

दिनांकः– 05–06–2026

**( दीपेन्द्र कुमार सिंह–I )**
विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट)/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–4, फर्रूखाबाद।